प्रेस विज्ञप्ति

25/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में श्री अनिल अंबानी की पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति 'अबोड' अस्थायी रूप से कुर्क —अब तक समूह की कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य ₹15,700 करोड़ से अधिक।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में श्री अनिल अंबानी की पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति 'अबोड', जिसका मूल्य ₹3,716.83 करोड़ है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इससे पूर्व, उक्त संपत्ति के अंश की ₹473.17 करोड़ की कुर्की की गई थी। समूह की अब तक कुल कुर्क की गई परिसंपत्तियों का मूल्य ₹15,700 करोड़ से अधिक हो चुका है।

ईडी ने जांच की कार्यवाही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), श्री अनिल अंबानी एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी।

आरकॉम तथा उसकी समूह कंपनियों द्वारा घरेलू एवं विदेशी ऋणदाताओं से लिए गए ऋणों में से कुल ₹40,185 करोड़ की राशि वर्तमान में बकाया है।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि अन्य परिसंपत्तियों के साथ पाली हिल स्थित उक्त संपत्ति को 'राइज़ई ट्रस्ट' नामक एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट, जो श्री अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों से संबंधित है, में समाहित किया गया। यह व्यवस्था इस प्रकार प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई कि मानो श्री अनिल अंबानी का उक्त संपत्ति से प्रत्यक्ष संबंध न हो।

इस कॉरपोरेट पुनर्संरचना का उद्देश्य संपत्ति को 'राइज़ई ट्रस्ट' में समाहित कर संपत्ति का संरक्षण एवं संसाधन सृजन सुनिश्चित करना तथा आरकॉम को स्वीकृत ऋणों के संबंध में ऋणदाता बैंकों को श्री अनिल अंबानी द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों से उक्त संपत्ति को अलग रखना था। उक्त संपत्ति का वास्तविक लाभकारी उपयोग एवं स्वामित्व अंबानी परिवार के पास रहने का अभिप्रेत था, न कि उन सार्वजनिक बैंकों के हित में, जिनके ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में परिवर्तित हो गए।

प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा तथा सार्वजनिक धन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और धन शोधन में संलिप्त परिसंपत्तियों की पहचान एवं कुर्की प्रभावी रूप से करता रहेगा।

आगे की जांच जारी है।